<u>संख्या-548/2018/753/22-2-2018-17(149)/2018</u>

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2</u> ***<u>लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2018</u>***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेशी पुत्र श्री नन्हेंलाल निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17578/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-17.11.2016) दिनांक 15.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेशी पुत्र श्री नन्हेंलाल, जो- मंशाराम फाटक मो0 सेनापति, थाना-कोतवाली, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30.11.1998 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सुरभि नामक 11 वर्षीय लडकी का अपहरण करके रू0-27000/-फिरौती मांगी गयी जिसे उसके पिता द्वारा धनराशि देकर छुडाया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को विशेष सत्र परीक्षण संख्या-11/99 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 31.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 17 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 30.11.1998 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सुरभि नामक 11 वर्षीय लडकी का अपहरण करके रू0-27000/-फिरौती मांगी गयी, उसके पिता द्वारा धनराशि देकर छुडाया गया। बन्दी द्वारा अपहरण कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति द्वारा किये गये समयपूर्व रिहाई का विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बन्दी गनेंशी पुत्र श्री नन्हेंलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गनेशी (बन्दी संख्या-25993) पुत्र श्री नन्हेंलाल निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्‌द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-548/2018/753(1)/22-2-2018 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-548/2018/753/22-2-2018-17(149)/2018

दिनांक 12 जुलाई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेशी पुत्र श्री नन्हेंलाल, जो- मंशाराम फाटक मो0 सेनापति, थाना-कोतवाली, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30.11.1998 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सुरभि नामक 11 वर्षीय लडकी का अपहरण करके रू0-27000/-फिरौती मांगी गयी जिसे उसके पिता द्वारा धनराशि देकर छुडाया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को विशेष सत्र परीक्षण संख्या-11/99 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 31.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.2016 तक 17 वर्ष 10 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 10 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 30.11.1998 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सुरभि नामक 11 वर्षीय लडकी का अपहरण करके रू0-27000/-फिरौती मांगी गयी, उसके पिता द्वारा धनराशि देकर छुडाया गया। बन्दी द्वारा अपहरण कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति द्वारा किये गये समयपूर्व रिहाई का विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गनेंशी पुत्र श्री नन्हेंलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in